Page 1/11

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608108 फैक्स न0–2608108

संख्या 6564 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(50) / 2017 दिनांक: 13 नवम्बर, 2017

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–4629 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8 (50) / 2017 दिनांक 13–07–2017 तथा पत्र संख्या–5303 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(50) / 2017 दिनांक 24–08–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने और सुधारात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई थी।

इस सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंहनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश व पौडी द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये चिन्हित स्थलों का विवरण प्रेषित किया है, जिसकी प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

श्री कलवार AE
E mc की तरफ से निम्न को पत्र लिखा जाये
(I) SE NH 10 circle (II) SE 12th circle PWD Pauri
(III) SE 9th circle PWD Dehradun (IV) RO NHAI Dehradun.
o/c
Copy CE NH Dehradun, CE Pauri एवं
CE Dehradun को करें एवं अपनी
report में सूचना update करें।
(RA Sarraf)
13/11/17

कार्यालय सहायकसम्भागीय परिवहनअधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार।

फोन नं0–01334–239767, फैक्स नं0–01334–239769

पत्रांक– 567/प्रवर्तन–हरिद्वार/स0सु0/2017

दिनांकः– 22–08–17

सेवामें,

परिवहन आयुक्त महोदय

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में ब्लैक स्पॉट से इतर–अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारी करण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4629/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(50)/2017 दिनांक 13 जुलाई 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति उत्तराखण्ड को सम्बोधित है, के अनुपालन में दिनांक 27–07–2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुमारी यशोधरा विष्ट सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग रूड़की तथा श्री रविकान्त सेमवाल यातायात निरीक्षक हरिद्वार के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 (चिड़ियापुर के समीप उत्तराखण्ड राज्य की सीमा से चण्डी चौक) तथा सिंह द्वार से लक्सर मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। मार्ग में ब्लैक स्पॉट से इतर जो अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र पाये गये उनकी सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है।

A–राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74–चिड़ियापुर के समीप उत्तराखण्ड राज्य की सीमा कि0मी0 0 से–

1– कि0मी0 3.6 पर कोटद्वार की तरफ से आने वाली नहर मार्ग जो मुख्य मार्ग में दांयी ओर से 90 डिग्री पर मिलती है, इस स्थान पर कोई भी संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाने अनिवार्य है।

2– कि0मी0 7.9 पर लाल ढांग से आने वाली सड़क भी मुख्य मार्ग में दांयी ओर से लगभग 90 डिग्री पर मिलती है, मुख्य मार्ग एवं दांयी ओर लाल ढांग की तरफ से आने वाली मार्ग पर संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही लालढांग की ओर से आने वाली सड़क पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) भी लगाया जाना अनिवार्य है।

3– कि0मी0 8.4 गैण्डी खाता कस्बे के समीप भी दांयी ओर से कस्बे की तरफ से आने वाला मार्ग भी मुख्य मार्ग से 90 डिग्री पर मिलता है एवं इस स्थान पर ढाबे इत्यादि होने के कारण सदैव भीड़–भाड़ रहती है, इस स्थान पर भी कोई संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही कस्बे की ओर से आने वाली सड़क पर गति अवरोधक लगाया जाना भी अनिवार्यहै।

4– कि0मी0 10 (टोल टैक्स बैरियर के समीप) ढलान युक्त तीव्र मोड है (हरिद्वार की ओर से) एवं संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाने अनिवार्य है।

5– कि0मी0 13.3 (पुल के समीप) लगभग 70 मीटर मार्ग के बांयी तरफ खाई है खाई के अन्तिम छोर पर सड़क के समानान्तर पेड़ों की श्रृंखला है। जिससे रात्रि में वाहन चालक को मार्ग की सही स्थिति से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अतः मार्ग के बांयी ओर क्रैश बैरियर लगाया जाना उचित होगा।

6– कि0मी0 18.6 पर ग्राम बाहरपीली की ओर से आने वाला मार्ग बांयी तरफ से मुख्य मार्ग पर 90 डिग्री पर मिलता है। अतः मार्ग पर संकेतक लगाये जाने अनिवार्य हैं।

7– कि0मी0 20.8 पर बांयी तरफ श्रीराम आश्रम स्कूल है। अतः मुख्य मार्ग पर संकेतक लगाये जाना अनिवार्य है।

AD(R.S)

29/08/17

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून
31 Aug 2017
संख्या 1287

8– कि0मी0 24.1 पर कांगड़ी गांव की तरफ से आने वाला मार्ग मुख्य मार्ग पर बांयी ओर से मिलता है। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही कांगड़ी गांव की तरफ से आने वाले मार्ग पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया जाना अनिवार्य है।

9–चण्डी मन्दिर के प्रवेश द्वार से चण्डी पुल तक मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर बरसात के कारण गढ्ढे हो गये हैं जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अतः गंढढों का भराव किया जाना अनिवार्य है।

B–राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334A(सिंह द्वार से लक्सर तक)–सिंहद्वार कि0मी0 0 से

1–कि0मी0 3.5 से कि0मी0 3.8 तक मार्ग के दांयी ओर शिवडेल स्कूल, महर्षि विद्या मन्दिर, डी0ए0वी0 एवं गुरूराम राय स्कूल स्थित हैं। मुख्य मार्ग पर कोई संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाने अनिवार्य हैं।

2– कि0मी0 9.8 फेरूपुर तिराहा से दांयी ओर एक मार्ग पथरी थाना की ओर जाता है। मार्ग पर कोई संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है।

3– कि0मी0 15.2 रानी माजरा पर बांयी ओर से एक ग्रामीण मार्ग मुख्य मार्ग पर 90 डिग्री पर मिलता है। मार्ग पर संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही मुख्य मार्ग पर मिलने वाले ग्रामीण मार्ग पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया जाना अनिवार्य है।

4– कि0मी0 16.5 पर भोगपुर की तरफ से आने वाला ग्रामीण मार्ग मुख्य मार्ग पर 90 डिग्री पर मिलता है। मार्ग पर संकेतक नही लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही मुख्य मार्ग पर मिलने वाले ग्रामीण मार्ग पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया जाना अनिवार्य है।

5– कि0मी0 28.8 निर्माणाधीन पुल के समीप मार्ग की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है तथा मार्ग के बांयी ओर कैश बैरियर नही लगे हैं। अतः संकेतक एवं कैश बैरियर लगाया जाना अनिवार्य है।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है, जिस कारण उक्त मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित स्थल का चिन्हीकरण नही किया जा सका। चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होते ही सर्वेक्षण कर आख्या महोदय को प्रेषित कर दी जायेगी।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रवर्तन) हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिला मजिस्ट्रेट महोदय/अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति हरिद्वार।
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार।
3–सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय देहरादून।
4–कुमारी यशोधरा विष्ट, सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग रूड़की।
5–श्री रविकान्त सेमवाल, यातायात निरीक्षक हरिद्वार।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रवर्तन) हरिद्वार।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।

संख्या: 578 /सा0प्रशा0–स0सु0स0/2017–18 दिनांक : 17–08–2017

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढवाल।

विषयः– **(Vulnerable Sopt) दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हिकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.07.2017 में आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्र (Vulnerable Sopt) का चिन्हीकरण परिवहन विभाग, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, चिन्हित मार्गो का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	थाना क्षेत्र	दुर्घटना संभावित क्षेत्र **(Vulnerable Sopt)**
01	थाना रिखणीखाल	1. कुनालीखाल 2. सिद्धखाल
02	थाना देवप्रयाग	1. कुण्डाधार (सबदखाल एवं देवप्रयाग के मध्य) 2. चपरोली पानी (सबदरखाल के मध्य) 3. कुण्डाधार के पीछे मोड़ पर 4. ग्राम झौड़ के पास
03	थाना लक्ष्मणझूला	1. गरूडचट्टी से 200 मीटर आगे 2. घट्टूघाट से आगे 500 मीटर पीपलकोटी की तरफ
04	थाना श्रीनगर	1. मालढैय्या 2. चमधार बैण्ड 3. कालीगढ पुलिया 4. सिरोहबगड़
05	थाना लैंसडाउन	1. बैरगांव के समीप (गुमखाल–सतपुली के मध्य) 2. भदालीखाल (गुमखाल–कोटद्वार मार्ग) 3. पुराना टोलबार (लैन्सडाउन–कोटद्वार मार्ग) 4. झारापानी से करीब 500 मीटर आगे लैन्सडाउन की तरफ (लैन्सडाउन–गुमखाल मार्ग) 5. हटनिया के पास (गुमखाल–कोटद्वार मार्ग)
06	थाना धुमाकोट	1. हल्दूखाल 2. भौन–पीपली मार्ग 3. लिस्टिया खेत मोड़ 4. जड़ाऊखांद से पहले मोड़
07	थाना कालागढ	1. हनुमान मंदिर तिराहा
08	थाना पौड़ी	1. कलढुंग ग्राम से नीचे (पौड़ी–श्रीनगर मार्ग) 2. कलढुंग ग्राम से नीचे, उपरोक्त स्थान से लगभग 20 मीटर पूर्व पौड़ी की ओर (पौड़ी–श्रीनगर मार्ग)
09	महिला थाना श्रीनगर	शून्य
10	थाना सतपुली	शून्य
11	थाना कोटद्वार	शून्य

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी, पौड़ी।

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग पौड़ी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
पौड़ी।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) ऋषिकेश

फोनः 0135–2430623 फैक्सः 0135–2436623 टोल फ्री–18001804230
E-mail: artorishikesh.uk@gmail.com

पत्रांकः 1196/प्रवर्तन/सडक सु0/2017 दिनांक 13.09.2017

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून
19 Sep 2017
संख्या 1875

सेवा मे,
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थल (ब्लैक स्पॉट से भिन्न) विषयक।

महोदया,

उपरोक्त विषयक परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2017 को आहुत समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दुर्घटना सम्भावित स्थलों के चिन्हीकरण हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले 04 प्रमुख मार्गो का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पुलिस थाने/चौकी प्रभारियों, रोड निमार्ण एजेंसी के अधिकारियों के सहयोग तथा जन संवाद से दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील (ब्लैक स्पॉट से ईतर) मुख्य स्थल चिन्हित किये गये। चिन्हित किये गये स्थलों की मार्गवार सर्वे आख्या निम्नवत है–

1– मोतीचूर–रायवाला–नेपालीफार्म–लालतप्पड–भानियावाला–डोईवाला (राष्ट्रीय राजमार्ग–72/07)।

क्र0 सं0	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	प्राईमरी स्कूल, हरिपुरकलां।	रोड साईन व गति सीमा बोर्ड नही लगा है। मार्ग संकेतक व जेब्रा क्रासिंग होना आवश्यक है।	केन्द्र सरकार द्वारा राजमार्ग चौडीकरण (फोरलेन) का कार्य गतिमान है अतः परियोजना प्रबन्धक, एनएचएआई, गुरू तेगबहादुर रोड, फब्बारा चौक, देहरादून से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	मोतीचूर, रेलवे क्रासिंग।	मार्ग संकरा है। फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। मार्ग चौडीकरण किया जाना चाहिए। मार्ग के दोनों ओर परावर्ती खम्भे लगाये जाने चाहिए।	
3	रायवाला बाजार।	सड़क से 50 मीटर की दूरी पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय तथा रेलवे स्टेशन है। मार्ग पर अस्पताल व स्कूल सूचक रोड़ साईन लगाया जाना चाहिए तथा बाजार होने के कारण पैदल यात्रियों का निरन्तर आवागमन रहता है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः पैदल यात्रियों हेतु सब–वे का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे पैदल यात्री एक ही स्थान से सड़क क्रॉस कर सके।	
4	रायवाला थाना।	मां आनन्दमयी विद्यालय, थाना रायवाला व पैट्रोल पम्प स्थित है। गति सीमा, स्कूल सूचक साईन बोर्ड लगाया जाना चाहिए, सड़क के किनारे रिफलेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	
5	मिडवे रेस्टोरेंट।	सड़क संकरी एवं गड्ढायुक्त है। सड़क पर ढाबे होने से मार्ग का अतिक्रमण हुआ हैं। जिससे यातायात बाधित होता है। मार्ग चौडीकरण व रिफलेक्टर होना आवश्यक है। मार्ग का पूर्णतः उपचार किया जाना आवश्यक है।	
6	सत्यानारायण	सड़क चौडीकरण का कार्य गतिमान है। जिससे ट्रैफिक व्यवस्था	

AD(RS)
19/09/17
(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

	मंदिर।	सिंगल रूट पर है। मंदिर से आगे तिराहे की ओर सड़क असमतल तथा ढलाव वाली होने के कारण दुपहिया वाहनों के लिए संवेदनशील है। जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है।	
7	नेपालीफार्म तिराहा।	पुलिस सहायता केन्द्र है। सड़क संकरी है। सड़क चौडीकरण का कार्य चल रहा है। मार्ग संकेतक व स्पष्ट डायवर्जन का बोर्ड होना आवश्यक है।	
8	जीआईसी छिद्दरवाला।	राजकीय ईण्टर कॉलेज, सेमफोर्ड स्कूल मार्ग पर स्थित है। स्कूल संकेतक व गतिसीमा बोर्ड के साथ गति अवरोधक लगाये जाने चाहिए।	
9	पुलिस चौकी लालतप्पड़।	औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़े वाहनों का आवागमन है किन्तु सीधी सड़क होने के कारण वाहनों की गति अधिक होती है। गतिसीमा बोर्ड के साथ गति अवरोधक लगाये जाने चाहिए। कैटआई रिफ्लैक्टर के साथ जेब्रा क्रासिंग होनी चाहिए।	
10	पीजी कॉलेज।	मार्ग के दोनों ओर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व आई0टी0आई0 स्थित है। स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड व जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए।	
11	डाईवाला बाजार।	सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण है तथा मार्ग संकरा एवं अतिक्रमण होने के कारण यातायात बाधित होता है। मार्ग पर डिवाईडर होना चाहिए।	
12	थाना डोईवाला।	थाना डोईवाला व राजकीय चिकित्सालय स्थित है। सड़क उबड–खाबड है। संकेतक चिन्ह, गतिसीमा व जेब्रा क्रासिंग होना आवश्यक है।	
सम्पूर्ण मार्ग पर गतिसीमा बोर्ड, संकेतक तथा डाईवरजन बिन्दुओं पर स्पष्ट संकेतक होना अति आवश्यक है।			

2–श्यामपुर पुलिस चौकी–गुमानीवाला–नटराज चौक ऋषिकेश मार्ग (एसएच–10)।

क्र0 सं0	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	श्यामपुर तिराहा/ पुलिस चौकी।	आबादी क्षेत्र एवं तिराहा है। तिराहा से ऊपर की ओर स्पीड ब्रेकर बना है लेकिन संकेतक तथा पेंट न होने के कारण दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील है।	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	रेलवे क्रासिंग	मार्ग संकरा एवं गड्ढेयुक्त है। संकेतक भी नही लगे हैं। मार्ग का चौडीकरण किया जाना एवं संकेतक आवश्यक है।	
3	डीएसबी स्कूल तथा अगापे मिशन स्कूल।	जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए। स्कूल संकेतक बोर्ड होना चाहिए।	
4	मनसादेवी तिराहा।	गतिसीमा का बोर्ड होना चाहिए। जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए।	
5	खाण्ड गावं (विस्थापित)	मार्ग पर ब्रेकर है लेकिन संकेतक एवं पेंट न होने के कारण दुपहिया वाहनों के दुर्घटना की संभावना रहती है।	
6	स0सं0प0कार्यालय	दुर्घटना संभावित क्षेत्र है गतिसीमा के बोर्ड लगवाना व	

		रिफलेक्टर होना आवश्यक है।	
7	तहसील चौक	चौराहा होने के कारण ब्रेकर, जेब्रा क्रासिंग होना व गति सीमा के संकेतक बोर्ड होना आवश्यक है।	
8	नटराज चौक	आबादी क्षेत्र एवं निर्वाध गति से चारों ओर से यातायात संचालित होता है। गतिसीमा का साईन बोर्ड जेब्रा क्रासिंग एवं रोड ब्रेकर होना आवश्यक है।	

मार्ग के दाईं तथा बाईं ओर खडे पेडों की टहनियों एव पत्तियों से कहीं–कहीं पर साईन बोर्ड दर्शित नही हैं। अतः छंटाई किया जाना आवश्य है। (वन विभाग, ऋषिकेश से अपेक्षित है)

3–नेपालीफार्म–आईडीपीएल–कोयलघाटी (ऋषिकेश) मार्ग।

क्र0 सं0	दुर्घटना सम्भावित स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	नेपालीफार्म तिराहा।	पुलिस पिकेट है। मार्ग संकरा है चौडीकरण का कार्य गतिमान है।	मार्ग चौडीकरण (फोरलेन) का कार्य गतिमान है अतः अधिशासी अभियंता, एनएच डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला, देहरादून से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	गढीश्यामपुर रेलवे क्रासिंग।	सड़क टूटी–फूटी एवं गड्ढेयुक्त हैं। डिवाईडर न होने के कारण यातायात बाधित होता है। सडक का समतलीकरण तथा डिवाईडर व रिफलेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	
3	श्यामपुर पुलिस चौकी/तिराहा।	आबादी क्षेत्र एवं तिराहा है। डिवाईडर न होने के कारण वाहन अनियंत्रित ढंग से संचालित होते है। जिससे यातायात बाधित होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।	
4	आईडीपीएल गेट नं0–1	पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है। आईडीपीएल गेट से एआईआईएमएस (एम्स) के लिए मार्ग है। किन्तु सड़क पर साईन बोर्ड नही है। सड़क की पेंटिंग उखडी हुई है। डिवाईडर टुटे हुए हैं, आबादी क्षेत्र है। मार्ग सूचक होना आवश्यक है।	
5	काले की ढाल	तीव्र ढाल है। पुलिया निर्माण कार्य चल रहा है। गति अवरोधक एवं साईन बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
6	राज0स्नातकोत्तर महाविद्यालय।	सड़क चौडीकरण का कार्य गतिमान है। मार्ग पर संकेतक नही लगे हैं। जेब्रा क्रासिंग, गतिसीमा के बोर्ड लगवाये जाने आवश्यक है।	
7	बैराज तिराहा, कोयलघाटी।	तिराहा से 1.5 किमी0 भीतर एम्स है, साईन बोर्ड लगा हुआ है। तिराहे पर सड़क गड्ढायुक्त है। भरत मंदिर ईण्टर कॉलेज, ज्योति स्पेशल स्कूल, व भारद्वाज हॉस्पिटल स्थित है। घनी आबादी, शहरी क्षेत्र है गति सीमा बोर्ड होना चाहिए।	

4–नटराज चौक–रानीपोखरी–भानियावाला मार्ग।

क्र0सं0	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	नटराज चौक	चौराहा होने के कारण वाहनों एवं पैदल यात्रियों का	अधिशासी अभियंता,

		आवागमन बना रहता है। स्पीड ब्रेकर नही है। जेब्रा क्रासिंग व स्पीड लिमिट के साईन बोर्ड लगवाना आवश्यक है।	अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश से कार्यवाही अपेक्षित है ।
2	सात मोड।	घुमावदार व संकरी सड़क है। अति संवेदनशील एवं हाथी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वन विभाग से वाहन धीरे चलायें के बोर्ड अथवा गतिसीमा के बोर्ड व रिफ्लेक्टर लगाये जाने अति आवश्यक है।	
3	डांडी–भोगपुर तिराहा।	तीव्र ढाल व मोड है। गतिसीमा सूचक बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
4	डांडी विद्या मंदिर।	पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है तथा तीव्र ढाल होने के कारण अतिसंवेदनशील हैं। रिफ्लेक्टर एवं गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
5	रानीपोखरी चौराहा।	मार्ग संकरा है। बाजार होने के कारण मार्ग अतिक्रमण है। मार्ग चौडीकरण का कार्य किया जा रहा है।	
6	एअरपोर्ट तिराहा।	एयरपोर्ट से मुख्य मार्ग पर आने के लिए स्पीड ब्रेकर तथा गतिसीमा बोर्ड होना आवश्यक है। तिराहा से 100 मीटर आगे जाखननदी पुल संकरा है। रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है।	
7	पुलिस चौकी जौलीग्रांट।	सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर लगाये जाने है। पुलिस चौकी संकेतक बोर्ड होना चाहिए।	
8	हिमालयन हॉस्पिटल तिराहा।	मार्ग चौडीकरण व डिवाईडर का कार्य निर्माणाधीन है। गतिसीमा एवं हॉस्पिटल के बोर्ड लगाया जाना है।	
9	भानियावाला तिराहा।	मार्ग टूटा–फुटा एवं गड्ढायुक्त है। मार्ग का समतलीकरण किया जाना चाहिए। रिफ्लेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	
मार्ग के हाथी बाहुल्य क्षेत्र में संबंधित सावधानियों का बोर्ड वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश से अपेक्षित है।			

भवदीय,

(डॉ0 अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1–परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–जिलाधिकारी, महोदय देहरादून।
3–संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
4–परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0ए0आ0ई0, गुरूतेग बहादुर रोड, फब्बारा चौक, देहरादून।
5–अधिशासी अभियंता, एन0एच0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला देहरादून।
6–अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश देहरादून।
6–वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेंज, ऋषिकेश।

(डॉ0 अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश

9/11

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन उधमसिंह नगर

Phone No.05944-250633, E-mail- artoausn.uk@gmail.com

पत्रांक 311 /प्रवर्तन/2017 दिनांक 05.10.2017

सेवा में,

सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी।

विषय : **दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आज दिनांक 05.10.2017 को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का खटीमा व सितारगंज तहसीलों में संयुक्त सर्वे किया गया। जिसकी संयुक्त रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न है।

भवदीय

(राम प्रकाश राठौर)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन, उधमसिंह नगर

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, उधमसिंह नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा/सितारगंज उधमसिंह नगर।
4. क्षेत्राधिकारी पुलिस, खटीमा/सितारगंज, उधम सिंह नगर।

(राम प्रकाश राठौर)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन, उधमसिंह नगर

AO (R.C)
24/10/17

25 OCT 2017
2651

दुर्घटना सम्भावित स्थलों का संयुक्त सर्वे (दिनांक 05-10-17)

सितारगंज तहसील

1. पीकाघाट पुल ।

2. बिज्टी चौराहा।

3. ढाल वाली पुलिया वाल्मिकी कालौनी मोड।

4. शक्तिफार्म मोड।

5. सिसौना बरूवाबाग तिराहा।

6. रिकैट चौराहा, बदरिया सिडकुल।

7. बिज्टी गांव मझोला मार्ग

10/11

(अमूल वालिया)
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, सितारगंज
उधमसिंह नगर

(हिमांशु शाह)
क्षेत्राधिकारी पुलिस
सितारगंज, उधमसिंह नगर

(राम प्रकाश राठौर)
ए0आर0टी0ओ0
प्रवर्तन, उधमसिंह नगर

(विनोद कुमार)
उपजिलाधिकारी,
सितारगंज

दुर्घटना सम्भावित स्थलों का संयुक्त सर्वे (दिनॉक 05—10—2017)
तहसील खटीमा

खटीमा से सितारगंज रोड।

1. झनकट चौराहा।
2. झनकट मैदा मिल।
3. पहेनिया चौराहा।
4. भूड़ चौराहा (नहर)।
5. तहसील गेट, खटीमा।
6. कंजाबाग तिराहा।

मेलाघाट रोड—

1. खकरा पुल— रिम्बल स्ट्रिप्प बने है तथा लोक निर्माण विभाग का चेतावनी बोर्ड भी लगा है।
2. राजीव नगर चौराहा।
3. पकड़िया पुल— रिम्बल स्ट्रिप्प बने है तथा लोक निर्माण विभाग का चेतावनी बोर्ड लगा है।
4. ऊँची महुवट वन विभाग चौकी के पास— रिम्बल स्ट्रिप्प बने है तथा लोक निर्माण विभाग का चेतावनी बोर्ड लगा है।

खटीमा टनकपुर रोड— मझौला रोड

1. लोहियाहेड चौराहा।
2. टिगरी चौराहा।
3. नदन्ना नहर।
4. चारू बेटा पुल
5. सत्रह मीटल चौराहा

नानकमत्ता

1. मुख्य बाजार में मुख्य चौराहा

(के0सी0 भट्ट)
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)

(बी0एल0 मधवाल)
क्षेत्राधिकारी पुलिस
खटीमा
(ऊधम सिंह नगर)

(राम प्रकाश राठौर)
ए0आर0टी0ओ0
प्रवर्तन
(ऊधम सिंह नगर)

(विजयनाथ शुक्ल)
उपजिलाधिकारी
खटीमा, ऊधम सिंह नगर